झारखण्ड सरकार

वित्तीय वर्ष 2016-17

के

बजट भाषण में की गई घोषणाओं पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

(ATR)

योजना-सह-वित्त विभाग

झारखण्ड

वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विधान सभा में बजट अभिभाषण के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा लोक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता हेतु विगत वित्तीय वर्ष से ऐसी घोषणाओं पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने की परम्परा प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2016–17 का बजट पेश करते समय कुल 172 घोषणाएँ की गई थी। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। सभी घोषणाओं पर विभागों द्वारा कार्रवाई की गई है। कुल की गयी 172 घोषणाओं में से 134 घोषणाएँ पूरी कर ली गई हैं तथा शेष 37 घोषणाओं पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विधान–सभा के इस बजट सत्र के माध्यम से गत बजट में की गई घोषणाओं का कार्य प्रगति प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत है।

कुल घोषणाओं की संख्या	:–	172
पूर्ण की गई घोषणाओं की संख्या	:–	134
कार्याधीन घोषणाओं की संख्या	:–	37 (एक स्थगित)

पूर्ण की गई घोषणाओं की विभागवार विस्तृत विवरणी अनुसूची–1 पर तथा कार्याधीन योजनाओं की विभागवार विस्तृत विवरणी अनुसूची–2 पर वर्णित है।

अनुसूची–1

पूर्ण की जा चुकी 134 घोषणाओं की विभागवार सूची

विभाग का नामः– 1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

क्र0	घोषणा	घोषणा के आलोक में कृत कार्रवाई
1	राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों तथा प्रथम चरण में 100 प्रखण्ड मुख्यालयों में कृषकों के लिए ''कृषि सिंगल विंडो'' की स्थापना।	● माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.04.2016 को योजना का शुभारंभ किया गया। ● खरीफ मौसम मे प्रायोगिक तौर पर 66 स्थलों पर सिंगल विण्डों सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ● शेष 34 स्थलों का चयन कर लिया गया है, जिस पर क्रमवार सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना एवं संचालन की कार्रवाई की जा रही है।
2	जैव खेती को बढ़ावा दिया जाना।	जैव खेती को बढ़ावा देने हेतु 73.00 करोड़ रु. की येाजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत निबंधित भूमि पर लगातार तीन वर्ष तक जैविक कृषि अपनाते हुए प्रमाणीकरण का कार्य कर भूमि का जैविक रूपांतरण किया जाएगा।
3	ट्रैक्टर के स्थान पर पावर टीलर का उपयोग	योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 20.00 करोड़ रु. की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे एवं उपयोगी कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतु आवंटित की गई है एवं माह दिसम्बर, 2016 तक 575 स्वयं सहायता समूहों को को 50 प्रतिशत अनुदान की राशि 4.19 करोड़ रु. हस्तान्तरित कर दी गई है।
4	कृषकों तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना।	● योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी गई है। ● प्रशिक्षण / भ्रमण / प्रोत्साहन / पुरस्कार / प्रचार–प्रसार का कार्य प्रगति पर है।
5	फसल बीमा योजना का व्यापक प्रसार किया जाना।	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 01 अप्रैल, 2016 से लागू किया गया। अबतक 8.29 लाख किसानों के 3.53 लाख हेक्टेयर फसलों का बीमा किया गया है। रबी 2016–17 में भी यह योजना लागू है।
6	2,000 तालाबों का जीर्णोद्धार मशीन के द्वारा किया जाना।	योजना स्वीकृत एवं राशि आवंटित। 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार मशीन के द्वारा कराया जा रहा है, दिसम्बर, 2016 तक 621 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं एवं 84.91

क्र0	घोषणा	घोषणा के आलोक में कृत कारर्वाई
		करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।
7	लघु एवं सीमान्त किसानों विशेषकर महिला किसानों की आजीविका संवर्द्धन हेतु 'माइक्रोड्रिप' प्रणाली द्वारा सिंचाई से हार्टिकल्चर के गहनीकरण की योजना के तहत् 30 प्रखण्डों में आने वाले 30 हजार किसानों को 'माइक्रोड्रिप' प्रणाली एवं उनके माध्यम से फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण एवं उनके विपणन इत्यादि हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने का प्रस्ताव।	• राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एन.एम.एस.ए. के अन्तर्गत अभिसरण द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट योजना के तहत रु. 41.45 करोड़ की लागत पर 6000 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत Per Drop More Crop उप योजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना की वार्षिक कार्य योजना 50.87 करोड़ रु. की स्वीकृती एवं 30.52 करोड़ रु. आवंटित कर दिये गये हैं।
8	वर्षा जल के अधिकतम उपयोग एवं भूजल संवर्धन हेतु प्रथम चरण में एक लाख डोभा का निर्माण किया जाना।	योजना स्वीकृत एवं राशि आवंटित। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा मशीन द्वारा एक लाख डोभा का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। दिसम्बर, 2016 तक 85,000 डोभा का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 117.08 करोड़ रु. व्यय किया गया है।
9	राज्य सरकार द्वारा देवघर, गुमला, गिरिडीह एवं राँची में चार शीतगृह के निर्माण कराने की योजना।	देवघर, गुमला, गिरिडीह एवं राँची में 5000 MT शीतगृह के निर्माण हेतु राशि प्रदान करते हुए राशि आवंटित की जा चुकी है।
10	1,40,000 मीट्रिक टन मछली के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 5,000 मत्स्य मित्र एवं स्थानीय बीज उत्पादकों के माध्यम से 225 करोड़ मछली के बीज का उत्पादन का लक्ष्य।	1,40,000 मी. टन मछली उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 103640 मी. टन मछली का उत्पादन हुआ है। मछली के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 5000 मत्स्य मित्र एवं स्थानीय बीज उत्पादकों के माध्यम से 425 करोड़ मछली के बीज के उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 415 करोड़ मछली के बीज का उत्पादन एवं संचयन किया गया है।
11	वित्तीय वर्ष में मछुआरों के लिए नई योजना के रुप में ''वेद व्यास आवास योजना'' के तहत् 2,400 एवं मछुआ कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 1,860 पक्का आवास अर्थात् कुल 4,260 पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य।	केन्द्र प्रायोजित योजना मछुवा आवास योजना एवं वेद व्यास आवास योजना की स्वीकृति प्राप्त है। कुल 2262 पक्का आवासों के निर्माण हेतु राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विभाग का नामः— 2. भवन निर्माण

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राँची स्थित कोर कैपिटल एरिया में नये विधान सभा के नए भवन का निर्माण।	रॉची स्थित कोर कैपिटल एरिया में 465 करोड़ रु. की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जनवरी, 2016 से कार्य प्रारंभ किया गया है एवं फरवरी, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
2	सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना।	रॉची, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, पलामू, चतरा, बोकारो, गोड्डा एवं जमशेदपुर स्थित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हेतु 7.08 करोड़ रु. की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी गई है। निर्माणाधीन योजना का कार्य प्रगति पर है।
3	धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला, पलामू, साहेबगंज एवं बोकारो में न्याय सदन का निर्माण कार्य।	• बोकारो एवं दुमका में न्याय सदन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जून, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। • धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला, पलामू एवं साहेबगंज में न्याय सदन निर्माण हेतु DPR का निर्माण कराया जा रहा है।

विभाग का नामः— 3. वाणिज्य कर विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	कर प्रणाली की प्रक्रिया को सरल, कर अपवंचना को रोक कर राज्य के आंतरिक राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव।	• अधिसूचना सं0—एल.जी. 35/2015 —99 दि0 23.09.2015 एवं अधिसूचना सं0—35/2015 —30 दि0 08.02.2016 द्वारा excess ITS की रोकथाम एवं आंतरिक संसाधन में वृद्धि हेतु कार्रवाई की गई है।
2	कर—समाधान योजना, 2015 को वर्ष 2016—17 हेतु विस्तारित किया जाना।	• कर—समाधान योजना का वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु अवधि विस्तार से संबंधित अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।

3	लेखा पुस्त के अंकेक्षण हेतु सकल बिक्री आवर्त्त की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किए जाने से लगभग 15,000 छोटे व्यवसायियों को लेखा अंकेक्षण की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।	• अधिसूचना सं0–35/2015–30 दि0 08.02.2016 द्वारा लेखा पुस्त के अंकेक्षण हेतु सकल बिक्री आवर्त्त की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।

विभाग का नामः– 4. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	i. पाईप जलापूर्ति योजना के आच्छादन से शेष बचे 19 प्रखण्ड मुख्यालय में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण। ii. पलामू, खूँटी, चतरा, सिमडेगा, गोडड्ा, जामताड़ा, गढ़वा एवं पाकुड़ जिले, जिसमें पाईप जलापूर्ति से आच्छादन 10 प्रतिशत से कम है, प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पाईप जलापूर्ति से आच्छादित किया जाएगा।	11 प्रखण्ड मुख्यालयों में पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दे दी गई है एवं कार्यान्वयन प्रारंभ है। शेष 08 हेतु डीपीआर निर्माणाधीन है, जिसे मार्च, 2016 तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। प्रस्तावित जिलों में आच्छादन बढ़ाने हेतु निम्न योजनाएँ पर कार्रवाई की जा रही हैः–

जिला	चालू योजनाओं की संख्या		निर्माणाधीन योजनाओं की संख्या		आच्छादन प्रतिशत
	वृहत	लघु	वृहत	लघु	
पलामू	10	296	5	159	28.24
खूँटी	9	33	2	179	26.66
चतरा	5	104	3	218	21.10
सिमडेगा	6	74	5	90	13.65
गोड्डा	21	50	3	237	23.97
जामताड़ा	9	34	2	103	12.16
गढ़वा	20	11	1	253	24.34
पाकुड़	7	41	2	103	18.75

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
2	i. सभी विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्रों में एक पाईप जलापूर्ति योजना प्रारम्भ किया जाना। ii. सभी जिला के अधिकतम SC/ST आबादी वाले पंचायतों में कम से कम एक पाईप जलापूर्ति योजना भी आगामी वित्तीय वर्श में ली जाएगी।	i. प्राप्त अनुशंसाओं के क्रम में अद्यतन 35 अदद् योजनाएँ स्वीकृत है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। ii. निर्माणाधीन 47 अदद वृहद एवं 37 लघु, कुल 84 अदद् स्वीकृत पाईप जलापूर्ति योजनाओं से SC बाहुल्य 64 अदद्, एवं ST बाहुल्य 36 अदद (कुल लगभग 100) पंचायत आच्छादित किया जा रहा है।
3	आदिम जनजातीय टोलों में सौर ऊर्जा/बिजली चालित पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना।	गिरिडीह, बोकारो, खूंटी, सरायेकला, लातेहार, रामगढ, गोड्डा (सुन्दरपहाड़ी), चतरा, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों के अंतर्गत कुल 69 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
4	एक जिले को खुले में शौच से मुक्त घोशित किया जाना। 75 प्रखण्डों के 700 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।	रामगढ़ जिला फरवरी, 2017 तक ODF घोषित हो जाएगा एवं 264 ग्राम पंचायत, 20 प्रखण्ड ODF घोषित हो चुके हैं। शेष लक्ष्य की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति तक की जाएगी। अद्यतन 5.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

विभाग का नामः— 5. ऊर्जा

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य में गैर पारम्परिक ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु छः हजार सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणाली का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।	• राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु कुल 1400 अदद् सौर ऊर्जा चालित पम्प स्वीकृति के आलोक में ज्रेडा द्वारा e-procurement के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की गई। निविदा प्रक्रिया निष्पादित करते हुए अबतक कुल 950 अदद सोलर पम्प के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया है। • अब तक 65 अदद् सोलर पम्प का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हो चुका है। • शेष 450 पम्प, जिसके लिए एकल वैद्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया गया है जिसका निष्पादन माह मार्च 2017 करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
2	अविद्युतीकृत 2525 गाँवों को दिसम्बर, 2016 तक विद्युतीकरण किया जाना।	• 2525 गाँवों को दो चरणों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • प्रथम चरण में 750 गाँवों को मार्च 2016 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है। द्वितीय चरण में शेष 1775 गाँवों में से माह दिसम्बर 2016 तक 743 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। • 46 ग्राम बेचिरागी पाए गए। अतः शेष 986 ग्रामों का विद्युतीकरण जून 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
3	16,50,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच सस्ती दर पर एल0ई0डी0 बल्ब का वितरण किया जाना है।	लगभग 16,28,000 घरेलू/ग्रामीण उपभोक्ताओं को 81,44,470 बल्ब वितरित किये जा चुके हैं तथा बल्ब वितरित करने की प्रक्रिया जारी है।
4	जैनामोड़ (बोकारो), जसीडीह, खूँटी, सरिया (गिरिडीह), गढ़वा एवं चतरा ग्रिड सब–स्टेशन एवं संचरण लाईन का निर्माण किया जाना।	• जैनामोड़ (बोकारो), जसीडीह, खूँटी, सरिया (गिरिडीह) एवं चतरा ग्रिड सब–स्टेशन एवं संचरण लाईन का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। • गढ़वा ग्रिड हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है एवं 31 जनवरी 2017 तक कार्यादेश निर्गत कर लिया जाएगा।
5	सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना का कार्य।	• वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 निर्धारित बजट उपबंध के आलोक में झारखण्ड राज्य के लगभग 91 महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में लगभग 5000 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है। • 65 (4000 किलोवाट) भवनों में अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हो चुका है। • शेष भवनों में कार्य प्रगति पर है तथा माह मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
6	409 अविद्युतीकृत ग्रामों को डी0डी0जी0 स्कीम के तहत सोलर पावर/ बायोमास पावर के माइक्रो ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य किया जाना।	• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के डी0डी0जी0 स्कीम के अन्तर्गत 409 अविद्युतीकृत ग्रामों को सोलर पावर/बायोमास पावर के माइक्रो ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी।
7	राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई उपयोग हेतु भारत सरकार से 1,000 अदद् सोलर वाटर पम्प की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर किया जाना।	• राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु कुल 1400 अदद् सौर ऊर्जा चालित पम्प स्वीकृति के आलोक में ज्रेडा द्वारा e-procurement के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की गई। निविदा प्रक्रिया निष्पादित करते हुए अबतक कुल 950 अदद सोलर पम्प के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया है। • अबतक 65 अदद् सोलर पम्प का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हो चुका है। • शेष 450 पम्प, जिसके लिए एकल वैद्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया गया है जिसका निष्पादन माह मार्च 2017 तक करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
8	NTPC तथा राज्य सरकार के नई संयुक्त उपक्रम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव	• NTPC तथा राज्य सरकार के नए संयुक्त उपक्रम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दिनांक 01.04.2016 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 888 दिनांक 01.04.2016 के द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है। • PVUNL के द्वारा प्रथम चरण (3 x 800 MW) के विस्तार हेतु निविदा आमंत्रित की गई है एवं आगे की प्रक्रिया चल रही है।
9	R-APDRP Part-A योजना में 30 शहरों के विरूद्ध 21 शहरों को Go-Live घोषित किया जा चुका है। R-APDRP Part-B योजना के तहत् 30 शहरों के विद्युत वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार का कार्य।	• RAPDRP – Part A योजना में 30 शहरों के विरूद्ध 21 शहरों को Go-live घोषित किया जा चुका है एवं शेष 02 शहरों को 30 जून 2016 तक Go Live करने का लक्ष्य है। • RAPDRP – Part B योजना के तहत् 30 शहरों के विद्युत वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार किया जाना है। जिसमें 09 शहरों का कार्य Turnkey Basis पर एवं 18

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		शहरों का कार्य विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। • शेष 03 शहरों के कार्य हेतु Turnkey संवेदक का चयन किया जा चुका है।
10	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित "24 x 7 Power For All" के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में 54 अदद् ग्रिड सब–स्टेशन तथा 88 संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण करने का प्रस्ताव	• झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 54 ग्रिड सब–स्टेशन तथा 88 संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कराया जाना है। • 06 ग्रिड सब–स्टेशनों यथाः दुमका (मदनपुर), चाईबासा–1, चाईबासा–2, तमाड़, मधुपुर तथा चतरा एवं 04 संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। • वर्तमान मे 07 ग्रिड सब–स्टेशन एवं 20 संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। • 11 ग्रिड सब–स्टेशनों एवं 14 संचरण लाईनों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया चल रही है। वर्ल्ड बैंक से ऋण आवंटन प्रक्रिया प्रगति पर है जिसके आवंटन के पश्चात 20 ग्रिड सब स्टेशनों तथा 36 संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

विभाग का नामः– 6. उत्पाद एवं मद्य निषेद्य

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु ऑनलाईन व्यवस्था करने तथा होलोग्राम जैसे प्रभावकारी कदम उठा कर उत्पाद राजस्व में अभिवृद्धि की जाएगी।	वित्तीय वर्ष 2016–17 में मदिरा दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु ऑफलाईन के साथ ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। मदिरा के बोतलों/सैचेट/ कैन पर होलोग्राम चिपकाने के उपरान्त ही उपभोक्ताओं को मदिरा की आपूर्ति की जा रही है।

विभाग का नामः– 7. खाद्य, आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	किरासन तेल वितरण में लिकेज रोकने हेतु जिला (चतरा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, खूँटी, हजारीबाग एवं पश्चिमी सिंहभूम) में डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण किया जाना।	• किरासन तेल वितरण हेतु चतरा, खूँटी, हजारीबाग एवं जामताड़ा में डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण हेतु दिनांक 01.11.16 से लागू कर दी गई है।
2	अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष परिवारों को श्वेत राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना।	• विभागीय संकल्प सं0–1480 दि0 18.04.16 निर्गत कर दिया गया है। अधिनियम से अनाच्छादित इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर सत्यापन एवं अंगीकरण का कार्य किया जा रहा है।
3	सभी पात्र गृहस्थ परिवारों एवं अन्त्योदय के प्रति लाभुक परिवार को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से डबल फोर्टिफाईड आयोडीनयुक्त नमक, जो आयरन एवं आयोडीनयुक्त है, वितरित किया जाना।	• सभी लाभुकों को अक्टुबर, 2016 से डबल फोर्टिफाईड आयोडीनयुक्त नमक जो आयरन एवं आयोडीनयुक्त है वितरित की जा रही है।
4	मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत मोबाईल किचन संचालन की योजना।	• मोबाईल किचन संचालन हेतु सभी कार्रवाई कर ली गई है। वाहन क्रय की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
5	सभी पी॰डी॰एस॰ दुकानों को भी डिजिटल वेईंग मशीन उपलब्ध कराया जाना।	• निविदा प्रकाशित एवं निष्पादित कर दी गई है। डिजिटल वेईंग मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
6	धान अधिप्राप्ति योजना की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाना।	• धान अधिप्राप्ति कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इस आधार पर धान अधिप्राप्ति की जा रही है।
7	माप–तौल इकाई के कार्यों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जाना।	• जैप आईटी द्वारा डीपीआर तैयार किया जा चुका है एवं विभागीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
8	खाद्यान्नों के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों में जी॰पी॰एस॰ ट्रेकिंग की व्यवस्था किया जाना।	• खाद्यान्न परिवहन में प्रयुक्त वाहनों में जी॰पी॰एस॰ Tracking अधिष्ठापित करने हेतु जैप आई0टी0 द्वारा निविदा निष्पादनोपरान्त संबंधित फर्म को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। वाहनों में इसे अधिष्ठापित किया जा रहा है।
9	आवश्यक उपभोक्ता सामग्री में अनापेक्षित मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना।	• विभागीय संकल्प सं0–1014 दि0 15.03.16 द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कर दी गई है।
10	उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु कंज्यूमर वेलफेयर फण्ड की स्थापना।	• उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु नियमावली गठित कर दी गई है। राज्यांश की राशि आवंटित कर दी गई है एवं केन्द्रांश की राशि प्राप्ति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

विभाग का नामः– 8. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	मुख्यमंत्री जन वन योजना अन्तर्गत कृषकों द्वारा लगाये गये वृक्षों के पातन एवं परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा–पत्र सुगमता से निर्गत किया जाना।	इस हेतु Standard Operating Procedure एवं Timeline निर्धारित किया गया है तथा Process को Online कर दिया गया है।
2	जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने की दिशा में विभाग के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई का गठन किया जाना।	जलवायु परिवर्तन निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। पदों के सृजन पर कार्रवाई की जा रही है।
3	इको–विकास समिति/ ग्राम विकास समिति का गठन कर स्थानीय युवाओं को इको–टूरिज्म विषय पर प्रशिक्षण देकर नेचर गाईड के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। Environment Friendly, Sustainable तरीके से ईको–टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाना है।	वन विभाग के अधीन Jharkhand Eco Tourism Authority के गठन पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। स्वीकृति के पश्चात् JETA के गठन का संकल्प तथा नियमावली की अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।

विभाग का नामः– 9. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना प्रारंभ किया जाना।	• आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–159(6)ब दिनांक 29.11.16 निर्गत किया गया है।
2	आई॰पी॰एच॰ भवन नामकुम में सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठयक्रम प्रारंभ किया जाना।	आई॰पी॰एच॰ भवन नामकुम में सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–171(6)ब दिनांक 13.01.17 निर्गत किया गया है।
3	राज्य के जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं का विस्तृत विवरण संधारित करने हेतु हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना।	हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किए जाने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
4	राँची में सेन्ट्रल बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट की स्थापना की जायेगी।	रिम्स, राँची द्वारा इस कार्य हेतु Medicare Environmental Management Pvt. Ltd. का चयन किया गया है। उक्त संस्थान ने अप्रैल 2017 में सेवा आरंभ करने का उल्लेख किया है।

विभाग का नामः–10. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	सिमडेगा, खूँटी, चतरा, पाकुड़ जिले में महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।	• सिमडेगा, चतरा एवं पाकुड़ जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए 9.18 करोड़ रु. की राशि आवंटित कर दी गई है। • खूँटी में मॉडल डी0पी0आर0 के आलोक में स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
2	शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े जिले (Educationally Backward Districts) यथाः गढ़वा, पाकुड़, पलामू, देवघर एवं साहेबगंज जिले में महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।	गढ़वा, पलामू, साहेबगंज, पाकुड़ एवं देवघर जिलों में मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु 9.92 करोड़ रु. की योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
3	**"मेक इन इंडिया" के** तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के कौशल विकास हेतु नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।	"मेक इन इंडिया" के तहत राँची विश्वविद्यालय द्वारा Performing Arts का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। नये सत्र से पढ़ाई की व्यवस्था की जायेगी। अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है।
4	"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना तथा राँची विश्वविद्यालय, राँची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा तथा तीस महाविद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा।	• जमशेदपुर में प्रस्तावित प्रोफेशनल कॉलेज (अभियंत्रण महाविद्यालय) की स्थापना हेतु 26.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु. 7.80 करोड़ विमुक्त किये गये हैं। • राँची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु रु. 60.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु. 15.00 करोड़ विमुक्त कर दिये गये हैं। • 30 महाविद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु रु. 60.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुये रु0 39.00 करोड़ विमुक्त कर दिये गये हैं।
5	निजी एवं सरकारी क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने की योजना के तहत् सरकार द्वारा पलामू, राँची एवं कोडरमा में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना।	• राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा के कैम्पस में खाली पड़ी 10–12 एकड़ भूमि में अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा की स्थापना एवं निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। • अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू हेतु लेस्लीगंज पांकी पथ पर कृषि विभाग की रिक्त भूमि पर अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के लिए उपायुक्त, पलामू के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		• राँची अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु खूँटी में प्रस्तावित नॉलेज सिटी से भूमि प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
6	सभी प्रमण्डलों में एक–एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव।	• संथालपरगना प्रमंडल, दुमका एवं कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित है जो PPP Mode पर Techno India द्वारा संचालित है। पलामू, राँची एवं हजारीबाग प्रमण्डलों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित उपायुक्तों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
7	नवनिर्मित पोलिटेकनिक संस्थानों गोला, पाकुड़, चांडिल में वर्ष 2016–17 से 300–300 सीट पर नामांकन प्रारम्भ।	• गोला, पाकुड एवं चांडिल को PPP Mode पर चलाने हेतु Private Partner का चयन कर लिया गया है। • राजकीय पोलिटेकनिक, संस्थान पाकुड़ को चलाने हेतु AICTE से Approval प्राप्त हो चुकी है तथा नामांकन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए शैक्षणिक कार्य वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ कर दिया गया है। • दो पोलिटेकनिक संस्थान गोला एवं चांडिल को AICTE से Approval प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
8	तकनीकी संस्थानों में इनोवेटिव लर्निंग (Innovative learning) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Digital Library की स्थापना, फ्री वाई–फाई (Free Wi-Fi) की सुविधा, Video Lecture, Digital Note तथा Laptop/Tab से संबंधित योजना	• NICSI Delhi द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। • Phase-I में कुल 30 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ तकनीकी संस्थानों में Wi-Fi लगाने हेतु 78.88 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है।
9	राज्य के दस जिलों में एक–एक बहुउद्देशीय परीक्षा भवन बनाने की योजना।	राज्य के 10 चयनित जिलों– हजारीबाग, धनबाद, पलामू, बोकारो, चतरा, कोडरमा, गढ़वा, चाईबासा, सरायकेला–खरसावां एवं गुमला बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु 99.51 करोड़ रु. योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं राशि आवंटित कर दी गयी है।

विभाग का नामः— 11. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	पुलिस कर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का पालन।	राज्य में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
2	पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु पहले चरण में राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद के 44 शहरी थानों को स्मार्ट थाना के रूप में परिवर्त्तित किया जाना। पुलिस की छवि पिपुल्स फ्रेन्डली बनाया जाना	22 थानों को स्मार्ट थाना के रूप में परिवर्त्तित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष 22 थानों का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
3	राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में 71 नए स्मार्ट थानों का निर्माण किया जाना।	राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में 71 नए स्मार्ट थानों का निर्माण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
4	Safe City परियोजना के अंतर्गत राँची में C.C.T.V. सर्विलान्स प्रणाली पूर्ण रूप से लागू किया जाना।	रॉची शहर को Safe City बनाने हेतु शहर में C.C.T.V. के संस्थापन एवं संचालन के लिए 50.91 करोड़ रु. की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए Connectivity एवं संचार व्यवस्था बनाये रखने हेतु BSNL को मनोनयन के आधार पर कार्य एजेन्सी के रूप में नियुक्ति करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
5	राज्य में पुलिसीय सहायता की तत्काल प्राप्ति के लिए एकीकृत डायल 100 प्रणाली लागू किया जाना।	राज्य में पुलिसीय सहायता की तत्काल प्राप्ति के लिए एकीकृत डायल 100 प्रणाली लागू किए जाने हेतु उपकरण एवं अन्य सामग्रियों का अधिष्ठापन कार्य कराया जा रहा है।
6	राज्य में अपराध की रोक-थाम एवं विधि व्यवस्था के लिए 313 पी॰सी॰आर॰ एवं हाईवे पेट्रोल वाहन उपलब्ध कराया जाना।	राज्य के सभी जिलों को अपराध की रोक–थाम एवं विधि व्यवस्था के लिए 313 पी0सी0आर0 एवं हाईवे पेट्रोल वाहन उपलब्ध करा दिया गया है।

विभाग का नामः–12. उद्योग विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	1 अप्रैल, 2016 से राज्य में नई औद्योगिक एवं पूँजी निवेश प्रोत्साहन नीति लागू किया जाना।	राज्य की नई औद्योगिक एवं पूंजीनिवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अधिसूचित कर दी गई है।
2	कारखानों की अनुज्ञप्ति पाँच वर्ष से संशोधित कर दस वर्ष किया जाना	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा पत्रांक 13 दिनांक 20.04.16 के द्वारा इस विषय पर कार्रवाई पूरी की गई है।
3	खदानों की नीलामी प्रक्रिया को सरल करने, परमिट की व्यवस्था को ऑनलाईन करने एवं बंद खदानों को शीघ्र चालू किया जाएगा।	• विभिन्न खनिजों के परिवहन हेतु परमिट की निकासी ऑनलाईन की जा रही है। • बंद खदानों को चालू करने के लिए दिशा निर्देश पर स्वीकृति दी जा चुकी है।

विभाग का नामः– 13. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1.	प्रखण्ड मुख्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है तथा सॉफ्टवेयर की टेस्टींग चल रही है। टेस्टींग के दौरान ही इस सिस्टम का इस्तेमाल कर Legal Literacy Club का उद्घाटन किया गया है।
2	कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) – पाँच विभागों ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रारंभ किया जाना	पाँच विभाग में से वन एवं पर्यावरण विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में Software implement कर दिया गया है। इसमें भवन निर्माण विभाग को भी भाामिल करते हुए सभी प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों की ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है तथा Online account AG को जमा किया जाने लगा है। DWSD के सभी Executive Engineer AE एवं JE को ट्रेनिंग दे दी गयी है तथा अन्य विभागों के सभी Executive Engineer AE एवं JE को

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		ट्रेनिंग हेतु मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इस संदर्भ में सभी Executive Engineer AE, JE एवं DAO के लिए Tab हेतु M/s Sigma e-Solution Pvt. Ltd. को दे दिया गया है।
3	**ई–ऑफिस** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया जाना।	प्रथम चरण में चार विभागों यथा आई0टी0, कार्मिक, ग्रामीण, उद्योग तथा DC Office, Ranchi में e-Office स्थापित करने की प्रक्रिया भुारू की जा चुकी है।
4	राँची में एक Innovation Center की स्थापना।	रांची में Jharkhand Innovation Lab (JIL) स्थापित करने हेतु IIM, अहमदाबाद से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिशद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा MoU किया जा चुका है।
5	उड़ान 2016 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ किया जाना, जिसके अन्तर्गत 100 विजेताओं को मेधा पुरस्कार/छात्रवृत्ति दिया जाना।	चारो चरण की परीक्षा दिनांक 14.11.16 को समाप्त हो गयी है। इसमें चयनित 102 प्रतिभागियों को छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया की जा रही है।
6	झारखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष प्रशिक्षण एवं कोचिंग डिजिटल लाईव स्मार्ट क्लासेस परियोजना के तहत् विशेष प्रशिक्षण दिया जाना।	आर.एफ.पी. तैयार कर JAP-IT को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। JAP-IT द्वारा RFP प्रकाि" ात किया जा चुका है।
7	**मुख्यमंत्री डैश बोर्ड (CM Dashboard)** के तहत् सभी विभागों/ जिलों/प्रखण्डों की परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण कर सकेंगे। इससे राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा आसानी से हो सकेगी।	PWC का चयन निविदा के माध्यम से कर लिया गया है। LOI निर्गत कर दिया गया है।

विभाग का नामः— 14. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य के पत्रकारों के लिए **''स्वास्थ्य बीमा योजना''** प्रारम्भ किया जाना।	'स्वास्थ्य बीमा योजना'' के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विभाग का नामः— 15. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य में कौशल विकास के लिए झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव। झारखण्ड कौशल विकास मिशन के तहत लगभग 50,000 युवाओं को चिह्नित ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कौशल विकास मिशन सोसाईटी के तहत युवाओं को चिह्नित ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की निम्न कार्रवाई की गई हैः— ● सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना (मुख्य चरण) अंतर्गत जिला स्तर पर 204 बैचों में 6120 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जा चुका है। एवं शेष 90 बैचों के अनुमोदन का कार्य प्रक्रियाधीन है। ● झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के पायलट चरण में 2545 प्रशिक्षणार्थियों को निम्न 16 सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

List of Sectors	
Agriculture	Electronics
Apparel	IT/ITES
Automotive	Logistics
Beauty & Wellness	Plumbing
BFSI	Retail
Capital Goods	Security
Construction	Telecom
Domestic Worker	Tourism & Hospitality

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		• सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित है, उसके अन्तर्गत 24 जिलों में से 22 जिलों में आच्छादित किए गए है तथा 20 Service Provider की सेवा ली जा रही है। अबतक 1482 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 417 को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है।
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडल आई॰टी॰आई॰ के रूप में विकसित किया जाना।	चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की गयी थी। तद्नुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुल 1.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर विकसित किए जाने की योजना है। योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। उक्त आई0टी0आई0 में दो नये ट्रेड्रों की स्थापना एवं मशीनरी एवं उपकरण इत्यादि में राशि व्यय की जायेगी, ताकि इसे सुसज्जित कर NCVT से मान्यता दिलायी जा सके।

विभाग का नामः– 16. योजना–सह–वित्त

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	योजना–सह–वित्त विभाग में व्यय प्रबंधन कोषांग का गठन किया जाना।	व्यय प्रबंधन कोषांग का गठन किया जा चुका है।
2	वित्तीय प्रबंधन में और सुधार लाने के लिए इंटिग्रेटेड फाईनेन्शियल मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम की स्थापना।	इंटिग्रेटेड फाईनेन्शियल मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम स्थापित की गई है।
3	राज्य में क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं	कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन Third Party Audit से संबंधित

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
	का मूल्यांकन Third Party Audit से कराया जाना।	संकल्प निर्गत कर दिया गया है। अबतक निम्न कार्रवाई की गई हैः– • झारखंड राज्य में पेयजल तथा स्वच्छता की स्थिति का विश्लेषण UNICEF के सहयोग से किया गया है। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा एवं समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधारात्मक कदम हेतु प्रतिवेदन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रेषित भी किया गया है। • झारखंड राज्य में बाल सुरक्षा का विश्लेषण UNICEF के सहयोग से भी किया गया है। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा एवं समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधारात्मक कदम हेतु प्रतिवेदन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। • झारखंड राज्य में स्कूली शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण UNICEF के सहयोग से किया गया है। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा एवं समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधारात्मक कदम हेतु प्रतिवेदन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रेषित भी किया गया है। • जे–पाल तथा प्रथम के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में Improvement in Basic Learning of Children in Elementary School पर कार्य किया जा रहा है। • जे–पाल के माध्यम से सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में Impact Evaluation of ePOS machines on improving PDS पर कार्य किया जा रहा है। • जे–पाल के साथ कल्याण विभाग में Evidence based scale up of THP Programme पर कार्य किया जा रहा है। • आंतरिक–सह–सामुदायिक मूल्यांकन संरचना दिशा–निर्देश प्रारुपित

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		किया गया है। योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मूल्यांकन को संस्थागत देने हेतु आंतरिक एवं वाह्य संरचनाओं दोनों उपबंधों से युक्त आंतरिक–सह–सामुदायिक मूल्यांकन संरचना, उसके दिशा–निर्देश तथा मूल्यांकन प्रपत्रों का प्रारुप तैयार विभिन्न विभागों को उनके सुझावों हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रारुपित पद्धत्ति में स्व मूल्यांकन, हितग्राही या क्षेत्र के निवासी का मूल्यांकन, जन प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी सामाजिक संगठन द्वारा मूल्यांकन एवं शैक्षणिकः प्रशिक्षण संस्थान, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, बुद्धिजीवियों द्वारा मूल्यांकन की विधियाँ सम्मिलित की गयी हैं।
4	नई कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड) अप्रैल, 2016 से लागू किया जाना।	नई कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड) अप्रैल, 2016 से लागू कर दी गई है।
5	समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ MoU किए जाने का प्रस्ताव। यह एक परिशोधन कोष है, जो भविष्य में बकाया ऋण के भुगतान में प्रयुक्त होगा। इस निधि में अंशदान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है।	योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा 292/बजट दिनांक 27.05.16 के द्वारा अधिसूचित कर दी गई है।
6	राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी परिसम्पतियाँ, जिनका किसी कारणवश उपयोग नहीं हो रहा है, उनका सर्वेक्षण करा कर उन्हें उपयोगी बनाने की कार्रवाई की जाएगी।	• राज्य के 14 जिलों खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा, दुमका, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला–खरसावां, बोकारो, लातेहार, गुमला, देवघर, पलामू, पाकुड़ एवं गढ़वा जिलों से अप्रयुक्त भवनों की सूची प्राप्त हुई है, जो लगभग 1209 बतलायी गई है। विकास आयुक्त द्वारा संबंधित विभागों के सचिवों को यह निर्देश दिया गया है कि अप्रयुक्त भवनों की समीक्षा कर उसका प्रयोग जिस कार्य के लिए भवन को बनाया गया है, कराना सुनिश्चित किया जाए अथवा आवश्यकता परिवर्तित होने की स्थिति में अन्य उपयोगी कार्यों के लिए उसका प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए।

विभाग का नामः– 17. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	सभी अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन की व्यवस्था करना।	डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अंतर्गत अबतक 24 जिलों के कुल 253 अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही 195 अंचलों में **ऑनलाईन लगान** भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ हो जायेगी।
2	भू–अभिलेखों का डिजिटाईजेशन।	24 जिलों के 264 अंचलों में से कुल 253 अंचलों का डिजिटाईजेशन पूर्ण हो चुका है। कोडरमा जिला का 02 अंचल, सिमडेगा जिला का 02 अंचल, साहेबगंज जिला का 05 अंचल एवं बोकारो जिला का 02 अंचल कुल 11 अंचलों को छोड़कर अन्य जिलों के सभी अंचल पूर्णतः डिजिटाईज्ड हो गए हैं।
3	भू–नक्शों का डिजिटाईजेशन।	झारखण्ड में 33649 मैप का डिजिटाईजेशन पूर्ण हो चुका है। शेष (लगभग 15 हजार मैप) इस वित्तीय वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा।
4	निबंधन, म्यूटेशन एवं लगान रसीद की ऑनलाईन व्यवस्था के लिए निबंधन एवं राजस्व कार्यालयों का इंटीग्रेशन।	राज्य के 202 अंचलों में राजस्व एवं निबंधन कार्यालयों के बीच इंटीग्रे" ान किया जा चुका है। शेष अंचलों में यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।
5	राँची में Map Printing Press की स्थापना।	इस निमित्त EOI प्रकाशित किया गया, जिसके आलोक में 05 एजेंसियों द्वारा Scanner एवं Plotter उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इसे अधिष्ठापित कर लिया जाएगा।
6	50 अंचल कार्यालयों एवं 02 निबंधन कार्यालयों का जीर्णोद्धार तथा 50 नये तहसील कार्यालय–सह–	अंचल कार्यालयों एवं निबंधन कार्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अपने बजट के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 76

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
	हल्का कर्मचारी आवासों का निर्माण।	नये तहसील कार्यालय–सह–हल्का कर्मचारी आवास के निर्माण एवं साहेबगंज जिला में 02, गोड्डा जिला में 01 एवं प0 सिंहभूम जिला में 03 कुल 06 डाक बंगला का जीर्णोद्धार/विशेष मरम्मति तथा प0 सिंहभूम जिला में 01 मानकी मुण्डा विश्राम गृह की स्वीकृति देते हुए राशि आवंटित की गई है। अब तक कुल 23 राजस्व कचहरी सह हल्का कर्मचारी आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
7	राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु 134 नये वाहनों का क्रय किया जाना।	उपायुक्त, बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारियों के लिए कुल 253 नये वाहन के क्रय हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर इसी वित्तीय वर्ष में क्रय किया जाएगा।

विभाग का नामः– 18. पथ निर्माण विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	1,000 कि॰मी॰ पथों एवं 25 वृहद् पुल योजनाओं को कार्यान्वयन किया जाना।	1000 कि0मी0 पथों एवं 25 वृहद् पुलों को वर्ष 16–17 में स्वीकृत कर कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

विभाग का नामः— 19. ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज)

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	जल संचयन, आजीविका मूलक और सूखा निरोधी कार्यों को बढ़ावा	वर्ष 2016—17 में मनरेगा अन्तर्गत प्रमुखतः जल संचयन का कार्य किया जा रहा है जिसमें प्रति राजस्व ग्राम 20 डोभा की दर से लगभग कुल 6 लाख डोभा एवं वर्षा पूर्व प्रति राजस्व ग्राम 5 डोभा की दर से लगभग 1.5 लाख डोभा बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 1.04 लाख डोभा पूर्ण हो गयी है शेष डोभा निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।
2	लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 हजार पम्प सेटों का वितरण किया जायेगा।	कृषि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में 20 हजार पम्प सेटों का वितरण मनरेगा सिंचाई कूप से आच्छादित लघु एवं एवं सीमांत कृषकों के बीच किया गया है।
3	1,000 लिफ्ट इरिगेशन का स्वयं सेवी सहायता समूह के माध्यम से संचालन।	योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।
4	विधायक योजना के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली निधि की राशि को रुपये 3 करोड़ से बढ़ाकर अब रुपये 4 करोड़ किया जाना। बढ़ी हुई राशि का उपयोग कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान।	वित्तीय वर्ष 2016—17 के बजटीय उपबंध में प्रति विधायक 4.00 करोड़ की दर से 328.00 करोड़ रु. विधायक योजनान्तर्गत स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत कर दिया गया है।
5	विधायक योजना की राशि की निकासी की प्रक्रिया को सरल करते हुए इस हेतु अब जिला मुख्यालय स्तर के डी॰डी॰ओ॰ के बजाय सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग—अलग डी॰डी॰ओ॰ बनाये जायेंगे।	विभागीय आदेश सं0—1196 दि0—01.03.2016 द्वारा विधान सभा क्षेत्रों में अलग—अलग 82 डी0डी0ओ0 की घोषणा की गयी है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
6	भारत रत्न डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती वर्ष के अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य योजना की राशि से ''बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना'' राज्य में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव।	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अम्बेडकर आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु 80.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना 14 अप्रैल 2016 को लोकार्पित की जा चुकी है। लाभुकों का चयन करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है।
7	सभी प्रखण्ड भवनों के निर्माण की कार्य योजना प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत् आगामी तीन वर्षों में आवश्यकतानुसार प्रखण्डों के नए प्रखण्ड– सह–अंचल भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा।	• 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के विरूद्ध स्वीकृत 80 प्रखण्डों में निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी गई है। • जामताड़ा जिला के दो प्रखण्ड कार्यालय भवनों के नवनिर्माण की स्वीकृति वर्ष 2015–16 में राज्य योजना से दी जा चुकी है, 181 प्रखण्डों के नवनिर्माण पर विचारण तथा वर्ष 2016–17 में कम–से–कम 80 प्रखण्ड– सह–अंचल कार्यालय नवनिर्माण के लिए प्रखण्डों के चयन हेतु विभागीय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति द्वारा प्रखण्डों का चयन कर लिया गया है। जिसपर दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
8	सभी पंचायतों के लिए पंचायत सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं वर्ष 2017–18 तक सभी पंचायत भवनों को ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जाएगी।	• 193 अपूर्ण पंचायत भवनों के निर्माण हेतु राशि विमुक्त कर दी गई है। • ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी NOFN परियोजना के तहत सभी पंचायतों में उपलब्ध करायी जा रही है।
9	2,000 कि॰मी॰ ग्रामीण पथों का निर्माण। 250 + आबादी वाले 700 बसावटें एवं 500 + आबादी वाले 200 बसावटों में कुल 900 बसावटों को जोड़ा जाना।	• अबतक 507 योजनाओं को पूर्ण कराते हुए 1516 कि0मी0 पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। • 250 + आबादी वाले 700 बसावटों में से 474 बसावटों को तथा 500 + आबादी वाले 200 बसावटों में से 119 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
10	पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजनान्तर्गत 4,500 कि॰मी॰ पथ का निर्माण। 2,266 बसावट पक्की सड़क से जोड़ा जाना।	चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा PMGSY के अन्तर्गत 3000 कि0मी0 पथ का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध 1900 कि0मी0 पथ का निर्माण किया जा चुका है तथा 1950 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान के विरूद्ध 593 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है।
11	125 लम्बे पुल (Long Span) का निर्माण।	चालू वित्तीय वर्ष में 50 पुल का निर्माण PMGSY के अन्तर्गत किया जा चुका है।
12	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी 200 कि॰मी॰ सड़क निर्माण किया जाना।	चालू वित्तीय वर्ष में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 102 कि॰मी॰ पथ का निर्माण कराया जा चुका है।
13	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत 81 पुलों का निर्माण।	चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 75 अदद् पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विभाग का नामः— 20. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	माध्यमिक विद्यालयों के लिए 18,000 (अठारह हजार) शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 17864 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है। इस प्रकार नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
2	विद्यालयों में बेंच—डेस्क तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा उपकरण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।	योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। बेंच—डेस्क हेतु राशि विद्यालय प्रबंध समिति को उपलब्ध करा दी गयी है।
3	पूरक पोषण योजनान्तर्गत राँची जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो बच्चे अपने आहार में अंडा नहीं लेते हैं, उन्हें पौष्टिक एवं सुगंधित दूध दिया जाएगा।	बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ—साथ अंडा/फल देने की योजना पूर्व से ही स्वीकृत है। पायलट आधार पर रांची जिले के चयनित विद्यालयों में अंडा नहीं लेने वाले बच्चों को दूध देने हेतु आवश्यक प्रावधान स्वीकृत्यादेश में किया गया है।

विभाग का नामः– 21. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	विभिन्न कार्यालयों, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों, पर्यटक सूचना केन्द्रों को कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना।	विभाग के सभी कार्यालयों एवं पर्यटक सूचना केन्द्रों में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई है। टूरिस्ट कम्प्लेक्सों को संचालन हेतु Outsourcing किया गया है।
2	चयनित पर्यटक स्थलों पर Pilot Project के तर्ज पर WiFi सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	JAP-IT के माध्यम से WiFi सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थापित किया गया है।
3	पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत (दिल्ली तथा कोलकाता को छोड़कर) अन्य महानगरों में पर्यटक सूचना केन्द्र झारक्राफ्ट के समन्वय से स्थापित किया जाना।	मुम्बई एवं अहमदाबाद में झारक्राफ्ट के माध्यम से दिनांक एक–एक पर्यटक सूचना केन्द्र प्रारंभ किया गया है।
4	होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, झारखण्ड साहसिक पर्यटन संस्थान, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा अन्य प्राधिकार के लिए सहायक अनुदान।	होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे, रांची की स्थापना हेतु रु. 4.00 करोड़ तथा बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार को रु. 2.00 करोड़ का सहायक अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है।
5	राज्य के गरीब परिवारों को देश के महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता	मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना राज्य में लागू कर दी गयी है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर तथा कोल्हान प्रमण्डल के 3000 गरीब वरिष्ठ नागरिकों को पुरी/भुवनेश्वर की यात्रा करायी गई है।

विभाग का नामः– 22. परिवहन

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य की राजधानी से महत्वपूर्ण नगरों के बीच द्रुत नन–स्टॉप वातानुकूलित बस सेवा का परिचालन सभी जिला मुख्यालयों तक पहुँचाया जाना।	द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची से 12, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग से 12, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पलामू से 4 अर्थात कुल 28 परमिट निर्गत किये गये है एवं बसों का परिचालन सुचारू ढंग से किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>घोषणा</th><th>अद्यतन कार्रवाई</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>जिन मार्गो पर बस का परिचालन किया जा रहा हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मार्ग का नाम</th><th>बसों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राँची से जमशेदपुर</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राँची से हजारीबाग</td><td>05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राँची से गिरिडीह</td><td>02</td></tr>
<tr><td>4</td><td>राँची से धनबाद</td><td>02</td></tr>
<tr><td>5</td><td>धनबाद से हजारीबाग</td><td>03</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मेदिनीनगर से राँची</td><td>01</td></tr>
<tr><td>7</td><td>राँची से गढ़वा</td><td>03</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>28</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>364 ग्रामीण मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ किया जाना।</td><td>झारखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने हेतु ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ करने के लिए मोटरवाहन नियमावली में आवश्यक संशोधन कर कुल 364 ग्रामीण मार्गो को चिन्हित कर इसके विरूद्ध परमिट निर्गत करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। अबतक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हजारीबाग द्वारा 55, रॉची द्वारा 3 तथा पलामू द्वारा 18 अर्थात् कुल 76 परमिट निर्गत किए जा चुके हैं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की 2,000 महिलाओं को तीन पहिया/चार पहिया हल्का मोटरयान का प्रशिक्षण देकर, उन्हें बैंक ऋण के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराया जाना।</td><td>• उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को LMV प्रशिक्षण दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
</table>

विभाग का नामः– 23. नगर विकास एवं आवास

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राँची नगर निगम में अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना।	• Door to Door Collection हेतु वाहन क्रय किया जा चुका है। • कुल 13 वार्डों में Door to Door Collection प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही, तीन मिनी ट्रांसफर स्टेशन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। • राँची नगर निगम के द्वारा ESSEL infra के साथ अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु एकरारनामा किया गया है। उक्त कार्य वर्ष 2018 में प्रारंभ होने की संभावना है।
2	एच॰ई॰सी॰ क्षेत्र के 341 एकड़ जमीन पर राँची स्मार्ट सिटी अधिष्ठापित किया जाना।	• स्मार्ट सिटी एवं लाईट मेट्रो रेल योजना के तहत् एच.ई.सी परिक्षेत्र में कुल 441.00 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रत्यर्पित कराये जाने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–2273, दिनांक–25.04.16 के द्वारा निर्गत की जा चुकी है। • स्मार्ट सिटी की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4552, दिनांक–16. 08.2016 द्वारा ''राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि॰ (RSCCL)'' का गठन करते हुए कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ''कंपनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2013'' के अंतर्गत दिनांक–13.09.16 को किया गया है। RSCCL की न्यूनतम अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ रूपये की है।
3	प्रधानमंत्री आवास योजना सभी नगर निकायों में की जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में 14 शहरी निकायों में 16,416 आवासीय इकाई की स्वीकृति।	• वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम चरण में केंद्र सरकार द्वारा कुल 33 शहरी निकायों में कुल 19,933 आवासीय इकाई के विरुद्ध 18,150 लाभुकों के साथ एकरारनामा करते हुए 3,154 आवासों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है | प्रथम किस्त की राशि निकायों को आवंटित कर दी गई है। • वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के द्वतीय चरण में कुल 36 शहरी निकायों से कुल 12,814 आवासीय इकाई की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही 11,325 लाभुको के साथ एकरारनामा कर ली गई है तथा भारत सरकार से प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर ली गई है। • अब तक कुल 6,014 आवासों की Geo Tagging की जा चुकी है। • 35 निकायों का हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (HFAPoA) तैयार किया जा चुका है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		• योजना के तहत् जमशेदपुर के नवजीवन कुष्ठ आश्रम के निर्माण (400 आवास) हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं 30–67 करोड़ रू० का आवंटन दिया जा चुका है। सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है। • देवघर के काली रेखा कुष्ठ आश्रम के निर्माण (80 आवास) हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, एवं उक्त कार्य हेतु 5.55 करोड़ रू० का आवंटन दिया जा चुका है। सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।
4	राँची में रविन्द्र भवन का निर्माण कार्य।	राँची में रविन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू० 167.03 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसके विरूद्ध अबतक कुल 85 करोड़ रू० योजना कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि०, राँची को आवंटित की जा चुकी है। जुडको लि० के द्वारा निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है।
5	हज यात्रा के लिए आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हज हाउस का निर्माण।	राँची में हज हाउस निर्माण हेतु ₹65.70 करोड़ के प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
6	नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित पाँच गाँवों के साथ–साथ कुल 78 गाँवों में UNDP द्वारा शेष कार्य एवं ठोस तरल कचरा प्रबंधन का कार्य कराया जाना।	• नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत साहेबगंज नगर निकाय एवं राजमहल नगर निकाय के साथ 78 गाँवों में कुल 425 करोड़ रु. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिसमें निम्न योजनाएँ शामिल हैः– ▪ साहेबगंज म्युनिसिपल अपशिष्ट जल परियोजना ▪ राजमहल म्युनिसिपल अपशिष्ट जल परियोजना ▪ साहेबगंज रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना ▪ राजमहल रिवर फ्रंट परियोजना ▪ कन्हैया स्थान रिवर फ्रंट परियोजना ▪ साहेबगंज एवं राजमहल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना ▪ गंगा संरक्षण हेतु साहेबगंज के 78 गाँवों में ग्रामीण स्वच्छता पहल की योजना ▪ साहेबगंज एवं राजमहल में घाट विकास एवं शवदाह गृह निर्माण की योजना • 08 परियोजनाओं में से 06 परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं।

विभाग का नामः— 24. जल संसाधन विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	जल संसाधन विभाग द्वारा अग्रिम योजना से संबंधित प्रभाग का गठन भी प्रस्तावित है।	विभाग में अग्रिम योजना से संबंधित कार्यों हेतु 1 मुख्य अभियंता, 2 अधीक्षण अभियंता, 3 कार्यपालक अभियंता, 10 सहायक अभियंता एवं 17 कनीय अभियंता का पद सृजित है। इस प्रभाग के लिए पूर्व से अभियंता संवर्ग में 33 पद तथा गैर अभियंता श्रेणी में 17 पद स्वीकृत है। नये पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर पदाधिकारियों की कमी के कारण पदस्थापन नहीं किया जा सका है।
2	सभी गाँवों में तालाब का निर्माण।	• अंतर्विभागीय अभिषरण (Convergence) की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में नये तालाबों का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही कराया जायेगा। 5 एकड़ से बड़े नये तालाब का निर्माण/पुनरूद्धार जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया जायेगा। इससे छोटे आकार के तालाब का निर्माण कृषि विभाग द्वारा कराया जायेगा। • जल संसाधन विभाग द्वारा 5 एकड़ से बड़े आकार के 33 तालाब/मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य लागत राशि रू० 1880.70 लाख पर स्वीकृत की गई है। • जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 2385 लघु सिंचाई सतही जल निकायों/मध्यम सिंचाई योजना/आधार/बाँध योजनाओं का प्रोफाइलिंग तैयार कर लिया गया है। इन योजनाओं में से प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों से 300 योजनाओं का चयन कर प्राक्कलन तैयार किया गया है। इन योजनाओं की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। • कृषि विभाग के द्वारा 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल के तालाबों का मशीन द्वारा जीर्णोद्धार योजना के तहत वर्ष 2016—17 में 2000 तालाब निर्माणाधीन है। लगभग 600 तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य हो चुका है।
3	पूर्व निर्मित सिंचाई के संसाधनों की सिंचित क्षमता में अभिवृद्धि हेतु उनका पुनरूद्धार।	• विभाग द्वारा 30 योजना के पुनर्स्थापन/ई०आर०एम० कार्य रू० 266.34 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें 15 योजना का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 15 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनसे कुल 56,742 हे० सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल होगी।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		• वर्ष 2016–17 में 15 अदद् सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन/ ई०आर०एम० कार्य हेतु रू० 637.11 करोड़ की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं से 39,336 हे० सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगी। • 55 योजनाओं के पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु DPR तैयार की जा रही है। इनमें से 7 अदद् योजनाओं के ERM कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, निविदा आमंत्रण प्रक्रियाधीन। 6 अदद् योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 12 अदद् योजनाओं के DPR तैयार करने हेतु EOI के माध्यम से कार्य आवंटित। • 30 अदद् योजनाओं की DPR विभागीय अभियंताओं द्वारा तैयार करायी जा रही है, जिसे 31 जनवरी 2017 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इन योजनाओं को वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 तक पूरा करने का लक्ष्य है। • लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत 168 तालाबों के जीर्णोद्धार योजना की स्वीकृति के उपरांत कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिससे 9237 हे० सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल की जाएगी। इन योजनाओं में से 66 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	पुरानी लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं का पुनरूद्धार।	लाभुक समिति द्वारा 8 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान की लिखित सहमति दी गई है। इन 8 योजनाओं के पुनरूद्धार हेतु रू० 3.715 करोड़ मात्र है, की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विभाग का नामः– 25. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना प्रारंभ किया जाना। प्रति लाभुकों को प्रतिमाह 600/–रु. पेंशन दी जाएगी, प्रथम वर्ष में 100000 लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा।	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा 15 अगस्त 2016 को योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान में 94300 लाभुकों को पोर्टल में प्रविष्टि के पश्चात् योजना का लाभ दिया जा रहा है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
2	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों हेतु राज्य पेंशन योजना प्रारंभ किया जाना। इसके अन्तर्गत पीड़ितों को 600/–रु. प्रतिमाह पेंशन दिया जाना।	योजना का शुभारम्भ हो गया है। वर्तमान में 975 लाभुकों को पोर्टल में प्रविष्टि की गयी है और उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
3	राज्य योजनान्तर्गत "आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण" किया जाना। किशोर न्याय बोर्ड में बाल बंदियों के उपस्थापन एवं सुनवाई के निमित्त सभी किशोर न्याय बोर्ड एवं प्रतिप्रेषण गृहों में VC की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	• ऑगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आवंटन निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करा दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। • राज्य के कुल 10 प्रतिप्रेक्षण गृहों में से रॉची, दुमका, देवघर एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रतिप्रेक्षण गृह में VC सुविधा 2 अक्टूबर, 2016 से अधिष्ठापित कर दी गयी है। • गुमला, धनबाद, एवं हजारीबाग के प्रतिप्रेक्षण गृहों में VC सुविधा अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है।
4	देवघर में नारी निकेतन एवं ट्रैफीकिंग से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए Open Shelter का निर्माण कराया जाना।	देवघर जिला में नारी निकेतन के निर्माण हेतु झालसा के परामर्श से भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके तहत एक Composite Children Home, Observation Home, Multipurpose Hall and Rescue Hall for Juvenile (Girls) निर्माण किया जाना है। इसके लिए कुल 23. 20 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, रॉची को आवंटित की जा चुकी है।

विभाग का नामः– 26. कल्याण

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	आदिम जनजाति विकास प्राधिकार (Primitive Tribal Development Authority) के गठन किया जाना।	आदिम जनजाति विकास प्राधिकार संकल्प संख्या 3333, दिनांक– 08. 11.2016 के द्वारा गठित की जा चुकी है।
2	आदिम जनजातियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिरसा आवास निर्माण योजना का निर्माण।	• आदिम जनजातियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिरसा आवास निर्माण योजनान्तर्गत सभी जिलों को राि" ा आवंटित कर दी गयी है। • बिरसा आवास निर्माण योजना के तहत् प्रति इकाई एक लाख रू०

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		से बढ़ाकर एक लाख एकतीस हजार रू० की जा चुकी है, साथ ही बिरसा आवास निर्माण योजना संबंधित सम्पूर्ण राशि । कल्याण विभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जा रही है।
3	अनुसूचित जनजातियों के लिए कला एवं सांस्कृतिक केन्द्र, मांझी, परगना, पराहा, मानकी मुण्डा एवं धुमकुड़िया हाउस का निर्माण।	प्राप्त प्रस्तावों के तहत् 93 निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है।
4	राज्य के सभी जिलों में Pan IIT Alumini Reach for India Foundation के माध्यम से 25 गुरूकुल की स्थापना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पशिक्षित बेरोजगार युवक/ युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जायेगा	गुरूकुल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर नियोजित कराया जा रहा है। पूर्व से 11 कल्याण गुरूकुल चालू है, जिसमें कुल 1228 युवाओं को चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें से 908 युवाओं को नियोजित किया जा चुका है। शेष गुरूकुल को परियोजना अवधि के अनुसार प्रारम्भ की करने की कार्रवाई की जा रही है।
5	मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाना।	• सभी आदिम जनजाति परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। • मुख्यमंत्री खाद्यान सुरक्षा के तहत् परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध काराया जा रहा है।

अनुसूची–2

प्रक्रियाधीन कुल 37 घोषणाओं की विभागवार विवरणी

विभाग का नामः– 1. भवन निर्माण विभाग

क्र0	घोषणा	घोषणाओं के आलोक में की गई कार्रवाई
1	उप राजधानी दुमका में आधारभूत संरचना का निर्माण।	आधारभूत संरचना के निर्माण के क्रम में कन्वेशन हॉल दुमका हेतु भूमि चिन्हित कर मृदा परीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डीपीआर निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः— 2. वाणिज्य कर विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के सुसंगत नियमों में संशोधन किया जाना।	• विधि विभाग से विधिक्षा प्राप्त हो गई है। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर संशोधन अधिसूचित कर दी जाएगी।

विभाग का नामः— 3. ऊर्जा

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट योजना के तहत् राज्य के सरकारी भवनों में लगभग 10 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन।	योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है तथा माह फरवरी 2017 में निविदा निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
2	सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अध्ययन कर रही कक्षा 6—12 तक की सभी छात्राओं एवं कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययन कर रहे कक्षा 6—10 तक के सभी छात्रों के बीच, अध्ययन करने हेतु 3,20,000 nos. LED आधारित सोलर स्टडी लैम्प निःशुल्क वितरण किया जाना।	योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है तथा माह फरवरी 2017 तक में निविदा निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
3	राज्य में ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर 20,000 अदद् सोलर लालटेन 1,000 अदद् सोलर पावर पैक उपलब्ध कराया जाना।	• सोलर लालटेन के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। • सोलर पावर पैक के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।
4	राज्य के सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में 5,000 अदद् सोलर स्ट्रीट लाईट अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाना।	• सरकारी एवं गैर—सरकारी क्षेत्र के लिए 2500 अदद् सी0एफ0एल0 आधारित सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है। • LWE क्षेत्र के लिए 1200 अदद् सी0एफ0एल0 आधारित सोलर स्ट्रीट

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		लिए निविदा आमंत्रित की गई है। • सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र के लिए 2000 अदद् एल0ई0डी0 आधारित सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।
5	राज्य स्तरीय अपारम्परिक ऊर्जा प्रदर्शन पार्क की स्थापना।	Greater Ranchi Development Authority (GRDA) को Core Capital Complex क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। भूमि संबंधी उपलब्धता प्राप्त होने पर कार्यान्वयन कराया जाएगा।
6	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में 2 X 660 मेगावाट के अतिरिकत पावर प्लांट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव की सहमति।	प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्राप्त की गई है। तेनुघाट विद्युत निगम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
7	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी फीडरों को अलग किया जाना तथा बचे हुये सभी अविद्युतिकृत गाँवों एवं टोलों में विद्युत उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।	• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी फीडरों को अलग करते हुए बचे हुए सभी अविद्युतीकृत गाँवों एवं जिलों में बिजली उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। • भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत रु० 3696.00 करोड़ की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। निविदा की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। शीघ्र कार्य आवंटित कर प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

विभाग का नामः– 4. खाद्य, आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों को अनुदानित दर पर प्रति परिवार एक किलो चना/चना दाल का वितरण प्रस्तावित है।	• वर्तमान में स्थगित।

विभाग का नामः– 5. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में वृद्धि करते हुए कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज योजना प्रारंभ किया जाना।	• भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अप्रैल 2017 से लागू की जाएगी। तदनुसार मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य में स्वीकृत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भारत सरकार की योजना के साथ एकीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
2	ब्राम्बे, राँची में डायबिटीज के रोगियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का डायबिटीज केयर सेन्टर स्थापित किया जाना।	ब्राम्बे, राँची में 50 शय्या वाला डायबिटीज केयर सेन्टर स्थापित करने हेतु Equipment सहित भवन का डी0पी0आर0 झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा तैयार किया जा रहा है।
3	किडनी रोगियों को बेहतर जाँच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ब्राम्बे, राँची में राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेसियलिटी न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।	ब्राम्बे, रांची में 50 शय्या वाला सुपर स्पेसियलिटी न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी केन्द्र की स्थापना हेतु Equipment सहित भवन का डी0पी0आर0 झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा तैयार किया जा रहा है।
4	चाईबासा एवं बोकारो में दो और नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रारंभिक कार्रवाई किया जाना।	• बोकारो एवं पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में क्रमशः 25–25 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है। • प्रबंध निदेशक, झारखण्ड भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा डी.पी. आर. निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।
5	कोडरमा जिला के करमा गाँव में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किया जाना।	• भारत सरकार से केन्द्रीय अस्पताल, करमा, कोडरमा की भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने हेतु सचिव, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। • करमा में Medical Hub निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना सचिव, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। • भवन निर्माण निगम के द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु डी.पी. आर. तैयार किया जा रहा है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
6	एम॰जी॰एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के परिसर में 500 शय्यावाला अस्पताल का निर्माण किया जाना।	भवन निर्माण निगम के द्वारा एम॰जी॰एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के परिसर में 500 शय्यावाला अस्पताल का निर्माण के लिए डी.पी. आर. तैयार किया जा रहा है।
7	गैर सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक भागीदारी से पैलियेटीव केयर की सुविधा प्रदान करने की योजना प्रारंभ किया जाना।	राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन के बिन्दु पर दिए गए परामर्श के आलोक में कार्रवाई की जा रही है ।

विभाग का नामः—6. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य सरकार का वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से विधानसभा क्षेत्रवार महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव।	• 35 विधान सभा क्षेत्र एवं 3 अन्य क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु संबंधित जिलें के उपायुक्तों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। • मनोहरपुर, मझगॉव, तोरपा, खरसॉवा, विशुनपुर, मणिका एवं जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है।
2	वित्तीय वर्ष 2016—17 में पलामू में पोलिटेक्निक भवन का निर्माण किया जाएगा।	पलामू जिलान्तर्गत लेस्लीगंज पांकी पथ पर कृषि विभाग की रिक्त भूमि पर पोलिटेकनिक के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के लिए उपायुक्त, पलामू के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः–7. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फण्ड के तहत युवाओं को कंपनी स्थापित करने एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।	• Start Up Action Plan सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। • उद्योग विभाग द्वारा वेंचर कैपिटल फण्ड के लिए RFP तैयार कर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः– 8. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों/प्रबंधन संस्थानों एवं अन्य महाविद्यालयों में कुल 5 (पाँच) Incubation Centers की स्थापना।	Innovation Lab के माध्यम से पाँच Incubation Centres में आव" यक capacity विकसित किया जायेगा। वर्त्तमान में छः प्रस्ताव (XLRI Jamshedpur, RU, BAU, NIFFT Ranchi, Sidhu-Kanhu University & NIT, JSR.) प्राप्त हुआ है, जिसपर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
2	राँची शहर को वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	राँची शहर को वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Road Map तैयार करने के लिए BSNL से वार्ता की जा रही है।
3	स्टार्ट अप इंडिया के तहत राज्य के महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थानों में इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना किया जाना।	Innovation Lab के माध्यम से पाँच Incubation Centres में आव" यक capacity विकसित किया जायेगा। वर्त्तमान में छः प्रस्ताव (XLRI Jamshedpur, RU, BAU, NIFFT Ranchi, Sidhu-Kanhu University & NIT, JSR.) प्राप्त हुआ है, जिसपर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः– 9. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1.	धनबाद एवं देवघर में प्रेस क्लब का निर्माण किया जाना।	• धनबाद जिला में प्रेस क्लब के निर्माण हेतु 60 डिसमिल भूमि का कर्णांकन कर लिया गया है। विस्तृत डीपीआर बनाने हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। • देवघर जिला में प्रेस क्लब के निर्माण हेतु भूमि के कर्णांकन की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः– 10. पथ निर्माण विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	राँची–बोकारो एवं धनबाद एवं जमशेदपुर को जोड़ने हेतु गोल्डन ट्रैंगल (Golden Triangle) एक्सप्रेस वे (Expressway) का निर्माण।	राांची–बोकारो–धनबाद एक्सप्रेसवे एवं धनबाद–जमशेदपुर हेतु (जैना मोड़–चौका पथांश) का संभाव्यता अध्ययन कर संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report) तैयार किया गया है। पर्यावरण अनापत्ति (Environmental clearance) हेतु प्रस्ताव upload किया गया है, भू–अर्जन (Land Acquisition Plan) प्लान तैयार किया जा चुका है। वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
2	पतरातू से राजगंज पथ (हीरक पथ) का विकास एवं हाटगमहरिया–नोवामुण्डी– बरायबुरू पथ का उन्नयन एवं रख–रखाव कार्य PPP mode पर किया जाना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	दामोदर, सोन, तिलैया, गुंगानाला, अजय, कोयल इत्यादि नदियों पर वृहद् पुल का निर्माण किया जाना।	इन नदियों पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही अन्य वृहद पुलों का निर्माण कराया गया है।

विभाग का नामः— 11. ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज)

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	जलछाजन विधि के तहत रिज टू भैली अप्रोच (Ridge to valley approach) के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन के उपचार से जल एवं भूमि संरक्षण। जलछाजन योजनाओं के विस्तार के लिए 29 नयी जलछाजन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।	नाबार्ड–RIDF ऋण से 29 जलछाजन योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। DPR सूत्रण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। योजना के लिए एकल बैंक खाता का गठित करने के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त है।

विभाग का नामः— 12. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	सभी जिलों में जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाना।	जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को रिक्ति उपलब्ध करा दिया गया है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श के आलोक में नियमावली में संशोधन कर लिया गया है।
2	प्रशिक्षण एवं कौशल का विकास के अन्तर्गत पर्यटन एवं अतिथ्य से संबंधित Certificate Course प्रारंभ किया जाना है।	संस्थान के चयन हेतु मूल्यांकन कर लिया गया है। एकरारनामा पर कार्रवाई की जा रही है।
3	JTDC द्वारा कतिपय पर्यटक स्थलों के लिए पर्यटक बस आदि परिवहन सुविधा।	JTDC से बस चलाने हेतु वर्तमान में दो एजेन्सी सूचीबद्ध है। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों एवं राज्य के बाहर बड़े शहरों के बीच बस संचालन हेतु एजेन्सी सूचीबद्ध करने के लिए निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का नामः– 13. नगर विकास एवं आवास विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर का सर्वेक्षण, परिचय पत्र एवं वेंडिंग–जोन विकसित किया जाना।	• Street Vendors सर्वे हेतु चयनित दो एजेन्सियों द्वारा 28 नगर निकायों में सर्वे समाप्ति के दौर पर है। • 28 नगर निकायो में अब तक कुल 23800 street vendors का प्रारंभिक दौर में सर्वे किया जा चुका है। • विभाग द्वारा झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 अधिसूचित की जा चुकी है। • 28 नगर निकायों में टाउन वेंडिंग समिति का गठन झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 के अनुरूप प्रक्रियाधीन है। 30 जनवरी, 2017 तक टाउन वेंडिंग समिति का विधिवत गठन कर लिया जाएगा। • Street Vendors को व्यवस्थित रूप से भाहर में विक्रय स्थल की व्यवस्था करने हेतु नए वेंडिंग जोन निकाय द्वारा स्थल का चयन किया जा रहा है। अब तक कुल 77 वेंडिंग जोन चिन्हित करते हुए कुल 64.77 एकड जमीन चिन्हित की जा चुकी है। • पथ विक्रेताओं हेतु Scheme से संबंधित नियमावली की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2	स्वर्णरेखा के प्राकृतिक सौंदर्य तथा इसके परिरक्षण के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय तथा जनसहयोग से विशेष कार्यक्रम चलाया जाना।	स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य M/s HCP Consultants Pvt. Ltd. को दिया गया है। एकरारनामा दिनांक–05.07.16 को कर लिया गया है। परामर्शी के द्वारा Survey Works & Social Aspect का कार्य किया जा रहा है। Inception Report का अनुमोदन दिया जा चुका है। संबंधित एजेन्सी के द्वारा Stake Holders मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसके उपरांत शीघ्र ही DPR तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।
3	राँची में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कार्य।	राँची में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना हेतु कार्रवाई जारी है।

विभाग का नामः– 14. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
1	निःशक्त (दिव्यांग) कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत राँची जिले में एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सह–विशिष्ट निःशक्त (दिव्यांग) केन्द्र खोलने का प्रस्ताव।	• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श पर एक Composite Resource Centre (CRC) राँची में बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए उपायुक्त, राँची से इस केन्द्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चयन कर विधिवत अभिलेख मांगा गया था। उपायुक्त, राँची द्वारा इस संस्था का स्थापना हेतु 3 एकड़ भूमि कांके में चिन्हित की गयी है और उनके द्वारा विधिवत प्रस्ताव भेजते हुए भूमि का हस्तांतरण महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को किया जा चुका है। • भारत सरकार से यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4000 वर्ग फीट एरिया उपलब्ध कराया जाय, जिसके आलोक में DDRC, राँची जो कि Red Cross Society, Ranchi में अवस्थित है, में 5000 वर्ग फीट एरिया चिन्हित की गई है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जा चुका है।
2	सरकारी मूकबधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 स्तर तक करने का प्रस्ताव।	राज्य के तीन विशेष विद्यालय : 1. राजकीय मूकबधिर मध्य विद्यालय, हरमू, रॉची 2. राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, हरमू, रॉची 3. राजकीय मूकबधिर विद्यालय, दुमका को उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉची सहमति प्राप्त है। योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में इन विद्यालयों को वर्ग 8वीं तक ही उत्क्रमित किया जायेगा।
3	दुमका, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाना।	• बोकारो में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2013–14 में ही 77.93 लाख रु. की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित कर दी गई है।

क्र0	घोषणा	अद्यतन कार्रवाई
		● दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं पलामू में कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा।
4	साहेबगंज एवं जामताड़ा में वृद्धाश्रम का निर्माण कराया जाना।	● माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर जनहित याचिका में पारित न्यायादेश के अनुसार पुरूषों के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु रॉची में शिलान्यास हो गया है तथा निर्माण हेतु राशि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, रॉंची को उपलब्ध करा दी गयी है। ● जामताड़ा एवं सरायकेला में ओल्ड एज होम निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, रॉंची से प्राक्कलन/डी0पी0आर0 की मॉंग की गयी है। दोनों जगहों से भूमि प्राप्त हो गई है तथा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, रॉंची को राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है।